16/3/19	सहायक कलक्टर पत्रा॰ आज [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रा॰ [illegible] पत्रा॰ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सहायक कलक्टर [illegible] जिला [illegible]

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

8

मु0 उनवान थानसिंह बनाम राज0 सरकार वगैरा

मुकदमा नंबर 15/2014 दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दढ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

बेज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ——————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 16.05.2024 .... को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत—— 16/5/24
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

16/5/24
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

1. थानसिंह पुत्र दर्याब जाति जाट निवासी झारकई तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. वीरेन्द्र पुत्र दर्याब जाति जाट निवासी झारकई तह. नदबई जिला भरतपुर।
3. निरंजन पुत्र दर्याब जाति जाट निवासी झारकई तह. नदबई जिला भरतपुर।
4. शिवचरन पुत्र मुखत्यार जाति जाट निवासी झारकई तह. नदबई जिला भरतपुर।
5. रामचरन पुत्र मुखत्यार जाति जाट निवासी झारकई तह. नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई
2. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर भरतपुर।

प्रतिवादीगण

16/5/24

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

नदबई जिला भरतपुर।
वई जिला भरतपुर।
ई जिला भरतपुर।
वई जिला भरतपुर।
ई जिला भरतपुर।
वादीगण

(9)

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 15/2014
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2014/00036
किस्म दावा 88,89,188 आ.र.टी.ए.
निर्णय दिनांक 16.05.24

1. थानसिंह पुत्र दर्याब जाति जाट निवासी झारकई तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. वीरेन्द्र पुत्र दर्याब जाति जाट निवासी झारकई तह. नदबई जिला भरतपुर।
3. निरंजन पुत्र दर्याब जाति जाट निवासी झारकई तह. नदबई जिला भरतपुर।
4. शिवचरन पुत्र मुखत्यार जाति जाट निवासी झारकई तह. नदबई जिला भरतपुर।
5. रामचरन पुत्र मुखत्यार जाति जाट निवासी झारकई तह. नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई
2. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर भरतपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री सुरेश सिंह एड.(वादी की ओर से)

पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवान का दावा राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश किया गया है जिसमें दावा से पूर्व नोटिस देना आवश्यक है लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का है तथा नोटिस देने में काफी समय गुजर जाएगा इसलिए दावा के साथ प्रार्थना पत्र दफा 80 (2) सीपीसी पेश किया जा रहा है।
2. यह कि आराजी खसरा नंबर 1349 रकबा 0.04 है. वाके मौजा झारकई तहसील नदबई में स्थित है। जो साबिक खसरा नंबर 1176 रकबा 3

16/5/24

बिस्वा से बना है। तथा खसरा नंबर 1176 साबिक खसरा नंबर 809 रकबा 5 बिस्वा से बना है। साबिक रिकॉर्ड के आधार पर संवत 2012 में वादीगण विवादित आराजी पर काबिज थे तथा विवादित आराजी वादीगण की खेवट की आराजी है जिस पर वादीगण अपने हिस्से के मुताबिक एक चौथाई हिस्से पर संवत 2012 से ही काबिज हैं। तथा वर्तमान में वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा है तथा वादीगण विवादित आराजी को अपनी सुविधानुसार अपने उपयोग में लेते जा रहे हैं।

10

3. यह कि विवादित आराजी को सैटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने सिवायचक दर्ज कर दिया है। जो खिलाफ मौका है क्योंकि वादीगण का विवादित आराजी पर संवत 2012 से निरंतर कब्जा चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादीगण विवादित आराजी के अपने एक चौथाई हिस्से की खातेदारी हाल राजस्व रिकार्ड अपने नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं।
4. यह कि प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक 26.01.2014 को व मुकाम झारकई पर खुलेआम धमकी दी कि वर्तमान आराजी सिवायचक भूमि है जिससे तुम्हारा किसी भी प्रकार संबंध सरोकार नहीं है इसलिए जमीन से अपना कब्जा तुरंत हटा लो तथा कब्जे से बेदखल कर दिया जाएगा। उक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को अजीम क्षति होगी अतः वादीगण प्रतिवादीगण को जरिए हुक्त इंम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं।
5. यह कि विवादित आराजी में वादीगण को एक चौथाई भूमि का साबिक रिकॉर्ड संवत 2012 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।
6. यह कि प्रतिवादीगण को जरिए हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद किया जावे कि वह वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करें व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।
7. यह कि वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जिसमें वर्णित किया गया कि विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 809 वादीगण की खातेदारी दर्ज न होकर मकवूजा मालिकान दर्ज है। तथा भूप्रबंध विभाग द्वारा किया गया इन्द्राज गत रिकार्ड तथा मौका अनुसार किया गया है। वादी द्वारा दावा दो भूप्रबंधक गुजर जाने के बाद पेश किया गया है जिससे दावा म्याद बाहर होने के कारण काबिल खारिज के है तथा वादीगण को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई। वादपत्र मे विवादित आराजी संवत 2012 में प्रतिवादीगण के 1/4 हिस्से थे, साथ अन्य काश्तकारों के भी नाम थे। उक्त सभी काश्तकारों को वादी द्वारा प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया है लिहाजा वादपत्र खारिज किया जावे।

79 16/5/24

8. वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाव दावा के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादीगण मद संख्या 2 में वर्णित विवादित आराजी के अपने एक चौथाई हिस्से की खातेदारी हाल राजस्व रिकार्ड अपने नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं। —जिम्मेवादी
2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिए हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं। — जिम्मेवादी
3. आया वर्णित आराजी वादपत्र मद संख्या 2 की आराजी संवत 2012 में प्रतिवादीगण के 1/4 हिस्से थे साथ अन्य काश्तकारों के नाम भी हैं जो वादी द्वारा सम्मिलित नहीं किए हैं। सभी पक्षकारान न होने से दावा काबिल खारिजी के है। —जिम्मे प्रतिवादीगण

9. वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजों के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2059 से 72 वाके ग्राम झारकई प्रदर्श एक, नकल खेवट खतौनी संवत 2012 वाके ग्राम झारकई प्रदर्श चार, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 व 2060 वाके ग्राम झारकई प्रदर्श 2 व 3, नकल जमाबंदी संवत 2012 से 15 व नकल जमाबंदी 2028 वाके ग्राम झारकई, नकल जमाबंदी संवत 2016 से 2019 वाके ग्राम झारकई पेश की गई तथा मौखिक बयान के रूप में वीरेन्द्र पुत्र दर्याब जाति जाट निवासी झारकई, थानसिंह पुत्र दर्याब जाति जाट निवासी झारकई, चैनसिंह पुत्र हेतीराम जाति जाट निवासी झारकई पेश किए गए।
10. प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेज एवं साक्ष्य के रूप में किसी भी प्रकार का मौखिक व साक्ष्य पेश नहीं किए गए है।
11. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्तागणों की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया निर्णय तनकीवार इस प्रकार है—

1. आया वादीगण मद संख्या 2 में वर्णित विवादित आराजी के अपने एक चौथाई हिस्से की खातेदारी हाल राजस्व रिकार्ड अपने नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था। प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में वर्णित खसरा नंबर 1349 रकबा 0.04 है0 वाके मौजा झारकई पर स्थित है जिसके साबिक खसरा नंबर 1176 रकबा 3 बिस्वा से बना है तथा 1176 के साबिक खसरा नंबर 809 रकबा 5 बिस्वा से बना है जिसमें खसरा नंबर 1349 पर गैर मुमकिन चाह विवादित भूमि दर्ज रिकार्ड है तथा नकल जमाबंदी खेवट संवत 2012 वाके ग्राम झारकई पेश की गई जिसमें खसरा नंबर 809 पर गैर मुमकिन चाह मकवूजा दर्ज रिकार्ड है जिसमें दर्याब व शिवचरन व रामचरन पिसरान मुखत्यार वाहिस्सा बराबर एक चौथाई दर्ज रिकार्ड है। तथा मिलान क्षेत्रफल 2028 व 2060 से गत व हाल खसरा नंबरान का मिलान हो रहा है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी 2028 में खसरा

नंबर 1176 में उक्त विवादित आराजी सरकार के नाम सिवायचक दर्ज रिकार्ड रही है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2009 से 2012, 2012 से 2015 एवं 2016 से 2021 व 2028 पेश की गई जिसमें उक्त विवादित आराजीयात पर अन्य खातेदार भी रहे हैं। वादी द्वारा उक्त वादपत्र में अन्य पक्षकारों को भी मुकदमा पक्षकार नहीं बनाया गया है एंव विवादित आराजीयात गैरमुमकिन चाह की दर्ज रिकार्ड रही है। तथा वादी द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध नही कर पाए हैं कि उक्त विवादित आराजीयात पर कब्जे संबधी कोई खसरा गिरदावरी या अन्य दस्तावेजात पेश नहीं किए गए हैं जिससे साबित होता हो कि उक्त आराजीयात वादी के कब्जेकाश्त रही हो। अतः वादीगण को गैरमुमकिन चाह की आराजी में से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं अतः उक्त तनकी वादीगण सिद्ध नहीं कर पाए हैं। उक्त तनकी वादी के खिलाफ व प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिए हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा वादपत्र को सिद्ध न कर पाने के कारण प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी नहीं है।
3. आया वर्णित आराजी वादपत्र मद संख्या 2 की आराजी संवत 2012 में प्रतिवादीगण के 1/4 हिस्से थे साथ अन्य काश्तकारों के नाम भी हैं जो वादी द्वारा सम्मिलित नहीं किए हैं। सभी पक्षकारान न होने से दावा काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2012 पेश की गई जिसमें वादीगण के साथ अन्य काश्तकारों के नाम भी दर्ज रिकार्ड रहे हैं जिसमें वादी द्वारा वादपत्र में मुकदमा पक्षकार नहीं बनाए गए हैं अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के हक में व वादी के खिलाफ तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि उपरोक्त विवादित आराजी ख.न. 1349 रकबा 0.04 है जो कि सिवायचक बिला लगानी रकवा है एवं वादीगण द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वादीगण का वादपत्र काबिल खारिजी के है। अतः वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होने के कारण खाारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
सदर जिला प्रतापगढ़